2018 का विधेयक संख्यांक 124

(दि होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिंदी अनुवाद)

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

(2) इसे 18 मई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

नई धारा 3क, धारा 3ख और धारा 3ग का अंत:स्थापन ।

2. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

केंद्रीय सरकार की, केंद्रीय परिषद् को अधिक्रांत करने और शासी बोर्ड गठित करने की शक्ति ।

''3क. (1) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ से ही केंद्रीय परिषद् अधिक्रांत हो जाएगी और केंद्रीय परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे और किसी भी प्रकार के प्रतिकर का कोई दावा नहीं करेंगे ।

(2) केंद्रीय परिषद्, उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय परिषद् के अधिक्रमण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा 3 के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय परिषद् के अधिक्रमण पर और धारा 3 के अनुसार नई परिषद् गठित किए जाने तक उपधारा (4) के अधीन गठित शासी बोर्ड इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा ।

(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शासी बोर्ड गठित करेगी जिसमें सात से अनधिक सदस्य होंगे, जो होम्योपैथी तथा होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त और अनिन्दनीय सत्यनिष्ठा वाले तथा ख्यातिप्राप्त प्रशासक होंगे, जो या तो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य या उसके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदेन सदस्य हो सकेंगे, जिनमें से एक का चयन केंद्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड के सभापति के रूप में किया जाएगा ।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न सभापति और अन्य सदस्य, ऐसी बैठक फीस तथा यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।

(6) शासी बोर्ड ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो केंद्रीय परिषद् को लागू हैं ।

(7) शासी बोर्ड की बैठकों में गणपूर्ति उसके दो-तिहाई सदस्यों से होगी ।

(8) शासी बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि--

(क) शासी बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) शासी बोर्ड की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जिससे मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो ।

(9) शासी बोर्ड के समक्ष विनिश्चय के लिए आने वाले किसी मामले में कोई वित्तीय या अन्य हित रखने वाला कोई व्यक्ति इससे पहले कि वह शासी बोर्ड की ऐसी कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया जाए, उस विषय में अपना हित प्रकट करेगा ।

(10) शासी बोर्ड का सभापति और अन्य सदस्य, केंद्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करेंगे ।

अधिनियम के कतिपय उपांतरण ।

3ख. उस अवधि के दौरान, जब केंद्रीय परिषद् अधिक्रांत रहती है,--

(क) अधिनियम के उपबंधों का अर्थान्वयन इस प्रकार किया जाएगा मानो ''केंद्रीय परिषद्'' शब्दों के स्थान पर, ''शासी बोर्ड'' शब्द रख दिए गए

हों ;

(ख) शासी बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा और इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के उपबंध इस उपांतरण के अध्यधीन प्रभावी होंगे कि उसमें केंद्रीय परिषद् के प्रति निर्देशों का अर्थ शासी बोर्ड के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा ।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

3ग. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शासी बोर्ड या अपने पुनर्गठन के पश्चात् केंद्रीय परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में नीति के ऐसे प्रश्न पर, जो तकनीकी और प्रशासनिक विषयों से संबंधित होने से भिन्न हैं, ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होंगे, जो केंद्रीय सरकार समय-समय पर लिखित में दे :

परंतु शासी बोर्ड को या अपने पुनर्गठन के पश्चात् केंद्रीय परिषद् को इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पहले यथाशाध्य अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) इस बात पर कि क्या कोई प्रश्न नीति विषयक है या नहीं, केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।''।

नई धारा 12ग का अंत:स्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 12ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

कतिपय विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अनुज्ञा की मांग करने के लिए समय ।

''12ग. (1) यदि होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018 की तारीख को या उससे पहले किसी व्यक्ति ने किसी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की है या किसी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय में नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ किया गया है या प्रवेश क्षमता में वृद्धि की गई है, तो, यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय उक्त प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर केंद्रीय परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा की मांग करेगा ।

(2) यदि, यथास्थिति, कोई व्यक्ति या होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा की मांग करने में असफल होता है, तो धारा 12ख के उपबंध जहां तक हो सके इस प्रकार लागू होंगे मानो केंद्रीय सरकार ने उससे इंकार कर दिया है ।

2018 का अध्यादेश सं. 4

निरसन और व्यावृत्ति ।

4. (1) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1974 (1973 का 59) की होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् के गठन के लिए और होम्योपैथी का केंद्रीय रजिस्टर रखने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 को वर्ष 2002 में नए महाविद्यालय स्थापित करने और विद्यमान महाविद्यालयों में नए अध्ययन पाठ्यक्रम आरंभ करने या प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा मांगने का उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया था । ये संशोधन निम्न स्तर की होम्योपैथी महाविद्यालयों के विकास की जांच के लिए किया गया है । इसके अतिरिक्त बहुत से होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय अभी भी क्वालिटी शिक्षा देने के लिए आवश्यक अपेक्षित स्तरों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं । परिषद् में गंभीर दुराचार के दृष्टांत मिले हैं, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा की क्वालिटी में गिरावट आई है । केंद्रीय सरकार ने परिषद् के कार्यकरण को कारगर बनाने के लिए और परिषद् के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं । तथापि, परिषद् केंद्रीय सरकार की ऐसी समस्त पहल पर बाधा डाली है । परिषद् के बहुत से सदस्य उनकी पदावधि पूर्ण होने के पश्चात् भी लंबे समय तक परिषद् में रहे हैं । इसके अतिरिक्त परिषद् के सभापति के विरुद्ध गंभीर कदाचार के कई आरोप हैं, जो अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् भी परिषद् का सदस्य बना हुआ था क्योंकि नए पदधारी के चयन क की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की जा सकी ।

3. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और तुरंत कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी इसलिए 18 मई, 2018 को राष्ट्रपति द्वारा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया गया था ।

4. इसलिए, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित करने के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018 का प्रस्ताव है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध हैं, अर्थात् :--

(क) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् को, केंद्रीय परिषद् के अधिक्रमण की तारीख से एक वर्ष के भीतर नई केंद्रीय परिषद् का सम्यक् रूप से पुनर्गठन किए जाने तक अधिक्रांत करके शासी बोर्ड का गठन करना ;

(ख) सभी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए उपबंध करना ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
17 जुलाई, 2018

श्रीपद येसो नाइक

MGIPMRND—817LS(CRC)—19-7-2018.